तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	जारी हो। पत्रावली बाहदे इन्तजार जवाब हेतु दिनांक 29.11.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
29.11.22	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी विभाग कार्य में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 27.12.2022 को पेश हो।	
27.12.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप. प्रतिवादी तहसीलदार बावड़ी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से जवाब / जांच रिपोर्ट प्राप्त। जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी वकील द्वारा बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई। बहस में बताया कि। वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम स्वामी उमगिरीजी की ढाणी के खसरा सं. 922, 923, 924, 927, 928, 930, 916 की कृषि भूमि आयी हुई है वादी सं. 1 का नाम मौतगी नामान्तरण दर्ज करते समय सामान्य बोल - चाल की भाषा वाला नाम लिम्बाराम पुत्र दलाराम के स्थान पर खुशालराम पुत्र दलाराम दर्ज हो गया जो गलत है वादी सं. 1 के पहचान	

सहायक कलेक्टर एवं

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हस्ताक्षर, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में निम्बाराम पुत्र हलाराम दर्ज है। अतः वादी का सही नाम कुशालराम पुत्र हलाराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र हलाराम दर्ज करवाने का आदेश फरमावें। ग्राम पंचायत कैलावा केला सरपंच द्वारा बताया गया कि निम्बाराम पुत्र हलाराम व कुशालराम पुत्र हलाराम दोनों ~~एक ही~~ नाम एक ही व्यक्ति के है। आसुराम पुत्र हलालराम व चन्दु पुत्री हलाराम के स्थान पर आसुराम पुत्र हलाराम व चन्दु पुत्री हलाराम के स्थान पर चन्दु पुत्री हलाराम सही नाम ~~द~~ दर्ज करवाने का आदेश फरमावें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त जवाब/जांच रिपोर्ट का परिशीलन किया गया। तहसीलदार बावड़ी के रिपोर्ट के पैरा सं. 8 में बताया गया कि माननीय न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का राज्यहित प्रभावित नहीं होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं जांच रिपोर्ट का परिशीलन करने के बाद वादी सं. 1 का नाम कुशालराम पुत्र हलाराम के स्थान पर ~~क~~ निम्बाराम पुत्र हलाराम एवं वादी के भाई आसुराम	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पुत्र दलाराम व बहन चन्दु पुत्री दलाराम के स्थान पर आसुराम पुत्र दलाराम व चन्दु पुत्री दलाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** वाद का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम स्वामी उमगिरीजी की ढाबी के खसरा सं. 922, 923, 924, 927, 928, 930, 916 में वादी सं. 1 का नाम कुशालराम पुत्र दलाराम के स्थान पर मिम्बाराम पुत्र दलाराम एवं उनके भाई आसुराम पुत्र दलाराम के स्थान पर आसुराम पुत्र दलाराम व बहन चन्दु पुत्री दलाराम के स्थान पर चन्दु पुत्री दलाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली कैफियत कुमार होकर एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा.मु.जो.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी